ग्राम पंचायत भपू, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भपू, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती मंजू बाला	01-04-22 से 31-03-24

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती अनू बाला	01-04-22 से 31-03-24

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत भपू के अवधि "01-04-2022 से 31-03-2024" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-	29.97
2.	6	प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना	5.26
3.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.45

4.	9	विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्ति को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.09
5.	10	मानदेय के रूप में पंचायत सदस्यों को अधिक भुगतान करना	0.05
6.	11	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप राजकीय राजस्व की सम्पति की हानि	0.40
7.	12	मस्ट्रोल के अन्तर्गत अपेक्षाकृत अधिक भुगतान करना	0.04

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत भपू, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2022 से 31/03 /2024" तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 17-05-2024 से दिनांक 24-05-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, भपू में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	04/22	03/23
2022-23	11/23	06/23

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत भपू, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹4,000/-** बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 228 दिनांक 24.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भपू से अनुरोध किया गया।

4. **वित्तीय स्थिति**:-

ग्राम पंचायत भपू द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(क) स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत भपू के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	91920.00	44370.00	136290.00	44989.00	91301.00
2023-24	91301.00	92440.00	183741.00	54761.00	128980.00

(ख) अनुदान:- ग्राम पंचायत भपू के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	1934981.00	4342855.00	6277836.00	3320914.00	2956922.00
2023-24	2956922.00	1814941.00	4771863.00	1775279.00	2996584.00

(ग) दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	General/5TH FC/SDP/SDRF/VKVNY	KCCB INDORA	20076007215	383224.00
2.	VKVNY	KCCB INDORA	50060625102	6935.00
3.	15TH FC	CANARA BANK INDORA	5337101001834	2222704.00
4.	RGSA	INDUSIND BANK DHARMSHALA	100204711754	512037.00
5.	हस्तगत रोकड़			664.00
कुल योग				**3125564/-**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-23 को बैंक अनुसार अन्त शेष	**3125564**
दिनांक 31-03-23 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	**3125564**
अंतर	**0.00**

4.1 निर्देशानुसार अलग-2 स्कीमों के लिए अलग-2 बैंक खाते न खोलना :-

निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15-02-2012 में दिये गए निर्देशों के अनुसार अलग-2 स्कीमों के लिए अलग-2 बैंक खाते खोले जाने अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा खाता "क", "ख" के अन्तर्गत General/5th FC/SDP/VKVNY आदि स्कीमों के लिए हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 4 (1) के प्रावधान का उल्लंघन करते हुये एवं पूर्वोक्त पत्रांक में दिये गए निर्देशों के विरुद्ध एक ही बैंक खाता संख्या KCCB इन्दौरा 20076007215 व VKVNY के लिए अतिरिक्त खाता संख्या KCCB Indora 50060625102 खोला गया था, जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज के निर्देशों की अवहेलना हुई अपितु खातावार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान, ब्याज व भुगतान/व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकती।

अतः इस अनियमितता का वस्तु स्थिति अनुसार तथ्यपूर्ण कारण स्पष्ट करते हुये नियमानुसार तुरंत प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही अम्ल में लाई जाए।

4.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल

मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है , तथा इन कार्यों को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं | कुछ दृष्टांत मामलों का विवरण निम्नानुसार है :-

अनुदान/शीर्ष	वाउचर संख्या /दिनांक	कार्य का नाम	राशि
RGSA + 15TH FC	70/18.03.2023	अपवर्धन पंचायत घर	630000
15TH FC	65/27.03.2023	निर्माण रास्ता सुरेंदर के घर से नाले की ओर	36432

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 250(6) दिनांक 24.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भपू से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या ग्रा. प. भ.- 22/2024 दिनांक 24.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

5. अनुदान राशि ₹29.97 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है |

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-24 तक अनुदान राशि ₹2996584.00 उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 250(21) दिनांक 24.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भपू से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या ग्रा. प. भ.-22/2024 दिनांक 24.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: शेष अनुदान राशियों के सम्बन्ध में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके, उक्त राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये |

6. प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹5.26 लाख का अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E- Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है जिसका क्रियान्वन पंचायती राज बिभाग हि. प्र. कर रहा है | इस योजना के क्रियान्वयन के साथ – साथ हि. प्र. पंचायती राज (समान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागजरहित प्रणाली के अंतर्गत e-panchayt में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा प्रिया सॉफ्ट (computerised) दोनों माध्यम से किया जा रहा था तथा जो लेखे Priya Soft में बनाये जा रहें थे वे बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही खातों से मिलान नहीं खाते | परिणामस्वरूप ₹526384/- का अंतर पाया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखितरोकड़ बही के अनुसार वार्षिक प्राप्ति /व्यय में अंतर (Except MNREGA)+PMKSY

क्रम स.	वर्ष	प्राप्ति (₹)			भुगतान (₹)		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	22-23	3026029.00	3584710.00	558681.00	2597986.00	2563388.00	34598.00
2	23-24	1321367.00	1432915.00	111548.00	1291133.00	1355574.00	64441.00

(ख)प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए बैंक शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA) +PMKSY

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष + (CASH IN HAND)	अंतर
2023-24	2598116 +1064 (Cash in Hand) = 2599180	3125564.00	526384

उपरोक्त तथ्य एवं आंकडें लेखांकन प्रक्रिया में कमियों/त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं, जिनके चलते किसी भी स्तर पर हेर-फेर एवं गड़बड़ी की आंशका की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता तथा संस्था की सच्च्वी व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाते हैं।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 250(3) दिनांक 24.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या ग्रा. प. भ.-22/2024 दिनांक 24.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अन्तर के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. पंचायत राजस्व राशि ₹1.45 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना

(क) गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.45 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

अंकेक्षण में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था। प्राप्त सूचना के अनुसार ₹130650 की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** व नीचे तालिका में दिया गया है:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	850	50	46000	42500	88500	150	88350
2023-24	860	50	88350	43000	131350	700	130650

(ख) कमरों का किराया

ग्राम पंचायत भपू , विकास खंड इन्दौरा जिला कांगड़ा द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान दो कमरों का किराया ₹1200 प्रति माह की दर से किराये पर आबंटित किया गया था परन्तु आबंटन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए। पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.24 को ₹14400 की राशि वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग"** व निम्नानुसार है :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	0	14400	14400	14400	0
2023-24	0	14400	14400	0	14400

उपरोक्त तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है तथा यदि पंचायत राजस्व की बकाया राशि इसी तरह बढ़ती रही तो किसी समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो जाएगा।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 250(2) दिनांक 24.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या ग्रा. प. भ.-22/2024 दिनांक 24.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को कर दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. विवाह पंजीकरण शुल्क ₹600 की वसूली न करने बारे

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु 200 (सामान्य) व आई . आर. डी. पी./बी.पीएल.के लिए 25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर 400 (सामान्य)से व 50 आई . आर. डी. पी./बी.पीएल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है |

विवाह पंजीकरण रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 04/22 से 03/24 के दौरान निम्नलिखित आवेदकों का विवाह पंजीकरण किया गया था परन्तु उक्त अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित आवेदकों से विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली नहीं की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार से है:-

क्रम संख्या	विवाह पंजीकरण रजिस्टर के अनुसार पेज संख्या	आवेदक का नाम	विवाह की तिथि	रजिस्ट्रेशन की तिथि	वसूल की गई राशि (A)	रसीद संख्या /दिनांक	वसूली योग्य राशि (B)	कम वसूली (A-B)
1.	14	श्री लियाकत अली पुत्र श्री यूसफ दीन	18.06.2018	10.09.2022	200	414700	400	200
2.	16	श्री संजय पुत्र श्री ब्रहम दास	26.09.2022	17.10.2022	0	--	200	200
3.	03	श्री अमित कुमार पुत्र श्री शुभाष सिंह	16.01.2024	22.02.2024	200	404778	400	200
कुल योग								**600/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 250(4) दिनांक 24.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या ग्रा. प. भ.-22/2024 दिनांक 24.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इसकी वसूली रसीद संख्या 404797 राशि 200, रसीद संख्या 404798 राशि 200, रसीद संख्या 404799 राशि ₹200 दिनांक 18.05.2024 के द्वारा कर खाता संख्या 20076007215 में जमा करवा दी गई है, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है ।

अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोबारा न दोहराया जाए |

9. विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹0.09 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है तथा जिसे समय समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0235-00-800-03"** में जमा करवाना अपेक्षित है:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि
1	2022-23	4000
2	2023-24	4800
कुल योग		**8800/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 250(5) दिनांक 24.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या ग्रा. प. भ.-22/2024 दिनांक 24.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अत: विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा उपरोक्त निर्देशानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

10. ₹4500/- का मानदेय के रूप में पंचायत सदस्यों को अधिक भुगतान करने बारे:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 62{2} के अनुसार ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं होता है तो उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पांचवे वित्त आयोग की रोकड़ बही के वाउचर संख्या 68 दिनांक10.01.2024 (मानदेय अवधि 01.10.2023 से 30.12.2023) के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इस भुगतान किये गये मानदेय की अवधि के दौरान माह अक्टूबर 2023 में केवल एक ही ग्राम पंचायत की वैठक हुई थी जिसके फलस्वरूप पंचायत पदाधिकारियों को एक ग्राम पंचायत वैठक **का** मानदेय के रूप में अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	वार्ड पंच का नाम	पंचायत वैठकों की अवधि	भुगतान की गई राशि (₹)	पंचायत वैठकों की कुल संख्या	वास्तविक भुगतान योग्य राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.	श्रीमतीपमीना कुमारी	01.10.2023 से 30.12.2023	3000 (6X500)	5	2500 (5X500)	500
2.	श्रीमती अंजना देवी	01.10.2023 से 30.12.2023	3000 (6X500)	5	2500 (5X500)	500
3.	श्रीमती उषा देवी	01.10.2023 से 30.12.2023	3000 (6X500)	5	2500 (5X500)	500
4.	श्रीमतीशीला देवी	01.10.2023 से 30.12.2023	3000 (6X500)	5	2500 (5X500)	500
5.	श्रीमती संध्या देवी	01.10.2023 से 30.12.2023	3000 (6X500)	5	2500 (5X500)	500
6.	श्रीमती तृप्ता देवी	01.10.2023 से 30.12.2023	3000 (6X500)	5	2500 (5X500)	500
7.	श्रीमती अनुराधा देवी	01.10.2023 से 30.12.2023	3000 (6X500)	5	2500 (5X500)	500
8.	श्री रंजीत सिंह	01.10.2023 से 30.12.2023	3000 (6X500)	5	2500 (5X500)	500
9.	श्रीरूप लाल	01.10.2023 से 30.12.2023	3000 (6X500)	5	2500 (5X500)	500
कुल योग						**4500/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 250(7) दिनांक 24.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या ग्रा. प. भ.-22/2024 दिनांक 24.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप राशि ₹0.40 लाख के राजकीय राजस्व की सम्भावित हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्प्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिबार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार ₹**39696**/- का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है :-

नाम	मात्रा (cum)	फैक्टर	कुल मात्रा	दर (प्रति टन)	राशि
रेत	86	1.62	139.32	80	11146
बजरी	93	1.52	141.36	80	11309
पत्थर	07	2.24	15.68	80	1254
रेत	22	1.62	35.64	80	2851
बजरी	28	1.52	42.56	80	3405
पत्थर	10	2.24	22.4	80	1792
कुल योग					31757
पेनल्टी 25%					7939
कुल योग					**39696/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 251(1) दिनांक 24.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या ग्रा. प. भ.- 22/2024 दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण **रॉयल्टी** की गणना नहीं की जा सकी प्रस्तुत उतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः **₹39696/-** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तु स्थिति एवं नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

12. ₹4200 का अधिक व अनुचित भुगतान करने बारे :-

सामान्य रोकड़ बही के वाउचर संख्या 85 दिनांक 29.03.2023 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य Completion of path from Narotam singh s/o Sham singh , Sahib singh s/o Diwan singh etc ward no. 1 के लिए मस्ट्रोल संख्या 5214 अवधि 01/02/23 से 28/02/23 हेतु विभिन्न मजदूरों को ₹36712 का भुगतान किया जाना अपेक्षित था परन्तु बैंक पास बुक के अनुसार उक्त मस्ट्रोल की एवज में ₹40912 का भुगतान किया गया था जो कि ₹4200 अधिक था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 251(4) दिनांक 24.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या ग्रा. प. भ.-22/2024 दिनांक 24.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को अवगत कर दिया जाएगा|

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार उपरोक्त अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

13. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान बिलों का भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है :-

क्र° स°	बर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि (₹)
1.	2022-23	03/23	675365.00
2.	2023-24	06/23	459434.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 251(2) दिनांक 24.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या ग्रा. प. भ.-22/2024 दिनांक 24.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

14. मापन पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकरियों से नमूना जाँच व सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, सकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (i) व (ii) के अनुसार ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले संकर्मो की दशा में, तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण अनिवार्य होगा तथा सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा, तकनीकी सहायक के तीन लाख रूपये तक की लागत के पैमाइश किये गये संकर्मो के दस प्रतिशत पर परीक्षण जांच संचालित करना अपेक्षित है तथा नियम 101 (ग) के

अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है|

अंकेक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसके कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	माप पुस्तिका व पेज संख्या
1.	Completion of work path from the land of Sh. Narotam Singh S/O Shan singh , Sahib singh etc.	SDP	12709/69-71
2.	निर्माण पक्का रास्ता राजेंदर प्रसाद पुत्र श्री थूडू राम की भूमि से राम भूमि वार्ड न० 1	SDP	12709/81-82
3	निर्माण रास्ता सुरेंदर के खेत से नाले की ओर	15TH FC	12709/83-85

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 251(3) दिनांक 24.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या ग्रा. प. भ. - 22/2024 दिनांक 24.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा ।

अतः उपरोक्त नियम प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित न करने के तथ्यपूर्ण कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

15. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के चलते किसी भी स्तर पर हेरफेर एवं गड़बड़ी की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता तथा हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 6 (1) की अनुपालना करने में पंचायत असमर्थ है|जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	15(1)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	---	31
5	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(14)
6	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	डाक टिकत रजिस्टर	24	61 (2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना	25 व 26	72(1) (ए,बी)

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 251(5) दिनांक 24.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या ग्रा. प. भ.- 22/2024 दिनांक 24.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

16. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 251(6) दिनांक 24.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या ग्रा. प. भ.- 22/2024 दिनांक 24.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

17. लघु-आपति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है।यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

18. निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

0 2 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

4365-4369 का0/प्रति0

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)418/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत भपू, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

0 2 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति0

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT BHAPOO BLOCK INDORA DISTRICT INDORA PINCODE 176401

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	91920	44370.00	136290	44989.00	91301.00

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 91920.00

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT SURAJ PUR BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA PINCODE 176403

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2023-24	91301.00	92440.00	183741	54761.00	128980

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 91301.00

Manju Bala
PRADHAN
SECY
GRAM PANCHAYAT BHAPU
DEV BLOCK INDORA, KANGRA H.P

परिशिष्ट-1 पैरा 5 के संदर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP BHAPOO BLOCK INDORA FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MGNREGA	0	471494.00	471494.00	471494.00	0.00
3	PMKSY	0	331021.00	331021.00	331021.00	0.00
4	5TH FC	0	238800.00	238800.00	237900	900.00
5	NRHM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	RGSA	0	717357.00	717357.00	458579.00	258778.00
8	VKVNY	108909.00	177.00	109086.00	99630	9456.00
9	SDRF	152472	240000.00	392472.00	82800.00	309672.00
10	IWDP	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	TSC	0	200000.00	200000.00	172273.00	27727.00
12	PMAGY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	176392	489553.00	665945.00	443592.00	222353.00
15	MMGPY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1497208.00	1654453.00	3151661.00	1023625.00	2128036.00
	TOTAL	**1934981.00**	**4342855.00**	**6277836.00**	**3320914.00**	**2956922.00**

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP SURAJ PUR BLOCK INDORA FOR THE YEAR 2023-24

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MGNREGA	0.00	288876.00	288876.00	288876.00	0.00
3	PMKSY	0.00	185590.00	185590.00	185590.00	0.00
4	5TH FC	900.00	291600	292500.00	281600	10900.00
5	NRHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0.00	0	0.00	0	0.00
7	RGSA	258778.00	0.00	258778.00	78340.00	180438.00
8	VKVNY	9456.00	210543	219999.00	60030	159969.00
9	SDRF	309672.00	159815.00	469487.00	317015.00	152472.00
10	IWDP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	TSC	27727.00	10000.00	37727.00	25576.00	12151.00
12	PMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	222353.00	151933.00	374286.00	116336.00	257950.00
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	2128036.00	516584.00	2644620.00	421916.00	2222704.00
	TOTAL	**2956922.00**	**1814941.00**	**4771863.00**	**1775279.00**	**2996584.00**

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF GRANT IN AID AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK **2956922.00**

Manju Bala
PRADHAN
GRAM PANCHAYAT BHAPU
INDORA, KANGRA H.P

SECY

O.A

BANK DETAIL OF GP BHAPOO BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA				
CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-22				
S.NO	**HEAD**	**BANK NAME**	**ACCOUNT NO**	**AMOUNT**
1	General/5TH FC/SDP/SDRF/ VKVNY	KCCB INDORA	20076007215	521361.00
2	VKVNY	KCCB INDORA	50060625102	6194.00
3	15TH FC	CANARA BANK INDORA	5337101001834	1497208.00
CASH IN HAND				2138.00
TOTAL				**2026901.00**

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23				
S.NO	**HEAD**	**BANK NAME**	**ACCOUNT NO**	**AMOUNT**
1	General/5TH FC/SDP/SDRF/ VKVNY	KCCB INDORA	20076007215	391848.00
2	VKVNY	KCCB INDORA	50060625102	6371.00
3	15TH FC	CANARA BANK INDORA	5337101001834	2128036.00
CASH IN HAND				573.00
TOTAL				**2526828.00**

	BANK DETAIL OF GP BHAPOO BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA			
	CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-24			
S.NO	**HEAD**	**BANK NAME**	**ACCOUNT NO**	**AMOUNT**
1	General/5TH FC/SDP/SDRF/ VKVNY	KCCB INDORA	20076007215	383224.00
2	VKVNY	KCCB INDORA	50060625102	6935.00
3	15TH FC	CANARA BANK INDORA	5337101001834	2222704.00
4	RGSA	INDUSIND BANK DHARMSHALA	100204711754	512037.00
CASH IN HAND				664.00
TOTAL				**3125564.00**

Manju Bala
PRADHAN
GRAM PANCHAYAT BHAPU
DEV BLOCK INDORA, KANGRA H.P.

SECY

परिशिष्ट-ख पैरा "7 क" के संदर्भ में

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	850	50	46000	42500	88500	150	88350

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT BHAPOO BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2023-24	860	50	88350	43000	131350	700	130650

Manju Bala
PRADHAN
GRAM PANCHAYAT BHAPU

SECY

J.A

परिशिष्ट - ग पैरा "7.3" के संदर्भ में

Outstanding Balance of Room rent as on 31.03.2024 in r/o Gram Panchayat Bhapoo :-

Year	No. of Room	Room Rent	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Outstanding Amount
2022-23	2	600	0	14400	14400	14400	0
2023-24	2	600	0	14400	14400	0	14400

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भप्पू
वि. ख. इन्दौरा

J.A